



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा/2023/008

दिनांक : 06/01/2023

मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति (Updated)

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के निम्नांकित पाठ्यक्रमों के समस्त परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा-2023 के परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाईट www.univindia.org पर ऑनलाईन माध्यम से भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क रु. 100/-सहित	विलम्ब शुल्क रु. 500/-सहित
1.	बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास/आनर्स कोर्स) पार्ट-। नियमित व स्वयंपाठी बी.सी.ए., बी.बी.ए. पार्ट-। नियमित समस्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी	02.01.2023 से 18.01.2023	19.01.2023 से 27.01.2023	28.01.2023 से 03.02.2023
2.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान डिप्लोमा			
3.	बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास/आनर्स कोर्स) पार्ट-। पूर्वछात्र, पार्ट-।। एवं पार्ट-।।। नियमित, पूर्व व स्वयंपाठी, बी.ए. एडीशनल बी.सी.ए., बी.बी.ए. पार्ट-।। एवं पार्ट-।।। नियमित एवं पूर्व छात्र	09.01.2023 से 18.01.2023	19.01.2023 से 27.01.2023	28.01.2023 से 03.02.2023
4.	समस्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध पूर्व छात्र, स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध नियमित, पूर्व एवं स्वयंपाठी एवं श्रेणी सुधार			

सामान्य निर्देश

1. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा फार्म दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक भरें।
2. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा फार्म में निर्धारित स्थान पर अपना मोबाईल नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना है।
3. महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्म अग्रेषित करने सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश देखें।
4. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लें।
5. परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः निर्धारित समय में सम्बन्धित महाविद्यालय में ही परीक्षा फार्म जमा करावें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फार्म ही स्वीकार होंगे।
6. स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर भूगोल परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है/करेंगे, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा। इस सम्बद्ध में शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी होगी। तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें। अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
7. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध है। परीक्षा सम्बन्धी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ट 'अ' देखें। विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/आर्डिनेन्स राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप में लागू है।
8. परीक्षार्थी आवेदन पत्र निर्देशों को भली-भाँति पढ़कर ही भरें। यदि परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार नहीं भरा जाता है तो आवेदन पत्र/परीक्षा निरस्त होने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

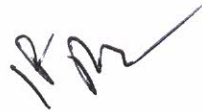
नोट :- छात्र सुविधा हेतु हेल्पलाइन नम्बर 6367513624 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. (i) समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म महाविद्यालय पोर्टल से प्राप्त सूची के अनुसार सही है एवं परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा-निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड/मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करें।
- (ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों पर आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना होगा।
- (iii) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित कर लें। इस सम्बन्ध में किसी भी अनियमितता के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय जिम्मेदार रहेंगे।
- (iv) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क रु. 8/- प्रति छात्र सम्बन्धित महाविद्यालयों को देय होगा।
2. आई.टी. प्रभारी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
3. वित्त नियंत्रक, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा-2023 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का श्रम करें।
4. मीडिया प्रभारी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार अलवर जिले में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
5. प्रबन्धक, सम्बन्धित बैंक, अलवर।
6. निजी सचिव, माननीय कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
7. समस्त अनुभाग/विभाग, परीक्षा गोपनीय अनुभाग/अकादमिक-। व।।/सेलर, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड शाखा, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
8. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।




सहायक कुलसचिव





राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा/2023/ 017

दिनांक : 06/01/2023

मुख्य परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

1. परीक्षा आवेदन पत्र, समय सारणी एवं परीक्षा आयोजन सम्बन्धित अन्य जानकारीयों हेतु विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे।
2. सर्वप्रथम छात्र विश्वविद्यालय वेबसाईट www.univindia.org पर संबंधित कक्षा की श्रेणी (यथा नियमित/स्वयंपाठी/पूर्व छात्र) का चयन कर अध्ययन किये गये विषयों का चयन करते हुये परीक्षा फॉर्म भरेंगे।
3. फॉर्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात् भरे गये फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड (एटीएम)/क्रेडिट कार्ड आदि से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फॉर्म का प्रिंट ले सकेंगे।
4. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थायी/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि राजकीय मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।
5. यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मान कर प्रारम्भ से नया परीक्षा फॉर्म भरें।
6. परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।
7. एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगा।
8. यदि तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रान्जेक्शन फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। फेल ट्रान्जेक्शन का शुल्क लौटाने की कार्यवाही दो सप्ताह में उसी खाते में संभव होगी, जिस खाते से शुल्क जमा हुआ था।
9. विश्वविद्यालय परीक्षा 2020, 2021 अथवा 2022 में से अंतिम परीक्षा में आवंटित रोल नम्बर से परीक्षा फॉर्म भरे जावेंगे।
10. कोविड-19 की वजह से परीक्षा-2020 में स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रौन्नत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा-2021 व 2022 में अगली कक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरने के कारण उनके प्रौन्नत प्रमाण-पत्रों को स्वतः ही निरस्त कर दिया है। अतः ऐसे छात्र पुनः स्नातक प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के लिए ही आवेदन भरें।
11. वे परीक्षार्थी जिनका ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र रोल नम्बर से नहीं भरा जा रहा है वे परीक्षार्थी प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण अंकतालिकाओं की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपि के साथ विश्वविद्यालय में सम्पर्क करें। प्रार्थना पत्र पर स्वयं का मोबाईन नम्बर अवश्य अंकित करें अन्यथा उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
12. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना मोबाईन नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर अंकित करना होगा।
13. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित विद्यार्थियों की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य अपने स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।
14. जिन परीक्षार्थियों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, ऐसे परीक्षार्थी जिस कक्षा की पात्रता रखते हैं उस कक्षा के लिए निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि इनका परीक्षा परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फॉर्म को अगली उच्च कक्षा में नियमानुसार परिवर्तित करने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा।
15. स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर भूगोल परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है/करेंगे, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु वेबसाईट www.univindia.org पर पंजीकरण करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा। इस सम्बद्ध में शीघ्र ही

विज्ञप्ति जारी होगी। तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें। अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

16. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध है। परीक्षा सम्बन्धी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ट 'अ' देखें। विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/आर्डिनेन्स राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप में लागू है।
17. विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले स्नातक पार्ट प्रथम, पी.जी. पूर्वाब्द, डिप्लोमा कार्सेज हेतु फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात जो आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। ध्यान रहे अपना, पिता व माता का नाम वही भरें जैसा कि बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका में अंकित है।
18. सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
19. **परीक्षा फार्म जमा करने सम्बन्धी निर्देश :-**
 - (i) नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहाँ पर जमा करवायें।
 - (ii) पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे, परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके हैं, उनके पूर्व परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा फार्म जमा करवा सकेंगे। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा फार्म के साथ विश्वविद्यालय को भेजें।
 - (iii) स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र को परीक्षा फार्म पर अंकित महाविद्यालय में जमा करायें।
20. परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे।
21. (i) ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।
(ii) राजस्थान बोर्ड/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के अतिरिक्त परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना **मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन)** एवं **मूल अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति** संलग्न करें।
22. जो छात्र पूर्व में ही विश्वविद्यालय में नामांकित है अर्थात् स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तराब्द के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अपनी उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
23. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना उनके परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
24. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
25. स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रायोगिक विषयों का चयन करने वाले स्वयंपाठी विद्यार्थियों से प्रति विषय अनुसार निर्धारित प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क आवेदन पत्र के साथ ही ऑनलाईन जमा कराया जावेगा।
26. स्वयंपाठी एवं पूर्वछात्र ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज के सम्बन्धित महाविद्यालय (जो परीक्षा फार्म पर मुद्रित है) में जमा करावेंगे।
27. सम्बन्धित महाविद्यालय नामांकन/परीक्षा फार्मों की हार्ड कॉपी को पोर्टल पर वैरिफाई कर उनकी सूची का प्रिन्ट पोर्टल से लेकर उसी सूची के अनुरूप परीक्षा फार्मों को संकाय/कक्षावार फार्म संख्या के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नामांकन फार्मों को मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं अंकतालिकाओं के साथ सूची सहित विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाये।
28. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्वाब्द में पंजीकरण से पांच वर्ष की समय सीमा में ही पूर्ण किया जा सकता है। उक्त नियम श्रेणी सुधार वाले परीक्षार्थियों पर भी लागू होगा। अतः परीक्षा 2019 से पूर्व पूर्वाब्द उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु आवेदन न करें।

मुख्य परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है :-

I – स्नातक स्तर (UG) की परीक्षा-2023 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students				
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate	Vimarsh Shulk for NC	Total Fees for NC
1.	<u>Student already Enrolled</u> B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-I	₹ 1450/-	₹ 1790/-	₹ 2660/-	₹1000/-	₹ 3600/-
2.	<u>Student Not Enrolled</u> B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.) /B.Com. (Hons.)- Part-I	Non Raj. Board Students				
		₹ 2130/-	₹ 1790/-	₹ 3340/-	₹1000/-	₹ 4340/-
		Raj. Board Students				
		₹ 1790/-	-	₹ 3000/-	₹1000/-	₹ 4000/-
3.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-II	₹ 1450/-	₹ 1790/-	₹ 2750/-	₹1000/-	₹ 3750/-
4.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-II with due paper of Part-I	₹ 1960/-	₹ 2440/-	₹ 3890/-	₹1000/-	₹ 4890/-
5.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-III	₹ 2110/-	₹ 2440/-	₹ 3410/-	₹1000/-	₹ 4410/-
6.	<u>Student already Enrolled</u> B.A./B.Sc. Additional	-	-	₹ 3710/-	₹1000/-	₹ 4710/-
7.	<u>Student Not Enrolled</u> B.A./B.Sc. Additional	-	-	₹ 4050/-	₹1000/-	₹ 5050/-
8.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.) Pt-III Ord. 169E	-	₹ 2750/-	₹ 3410/-	₹1000/-	₹ 4410/-
9.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-III with due paper of Part-I	₹ 2640/-	₹ 3070/-	₹ 4690/-	₹1000/-	₹ 5690/-
10.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-III with due paper of Part-II	₹ 2700/-	₹ 3170/-	₹ 4840/-	₹1000/-	₹ 5840/-
11.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-III with due paper of Part-I & II	₹ 3170/-	₹ 3650/-	₹ 5970/-	₹1000/-	₹ 6970/-
12.	Physically Challenged Students of Above All Categories	₹ 660/-	₹ 750/-	₹ 1070/-	₹1000/-	₹ 2070/-

II – स्नातकोत्तर स्तर (PG) की परीक्षा-2023 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students				
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate	Vimarsh Shulk for NC	Total Fees for NC
1.	<u>Student already Enrolled</u> M.A./M.Sc./M.Com. (Previous)/All PG Diploma/Ord. 169-E-I	₹ 1870/-	₹ 2120/-	₹ 3070/-	₹1000/-	₹ 4070/-
2.	<u>Student Not Enrolled</u> M.A./M.Sc./M.Com. (Previous)/All PG Diploma	₹ 2550/-	-	₹ 3750/-	₹1000/-	₹ 4750/-
3.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final)/Ord.169E-1	₹ 2350/-	₹ 2600/-	₹ 3960/-	₹1000/-	₹ 4960/-
4.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) (with due papers of Previous/ Ord.169-E-II)	₹ 3000/-	₹ 3230/-	₹ 5500/-	₹1000/-	₹ 6500/-
5.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) Ord 169 E-II/ Due papers of Final only	-	₹ 1870/-	₹ 3070/-	₹1000/-	₹ 4070/-
6.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) Due Papers of Previous only	-	₹ 1790/-	₹ 3720/-	₹1000/-	₹ 4720/-
7.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord.169-D)	-	₹ 4200/-	₹ 5500/-	₹1000/-	₹ 6500/-
8.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 179)	-	-	₹ 5650/-	₹1000/-	₹ 6650/-
9.	Physically Challenged Students for Above All Categories	₹ 660/-	₹ 750/-	₹ 1070/-	₹1000/-	₹ 2070/-

III – व्यवसायिक स्तर (Professional) की परीक्षा-2023 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students	
		Regular	Ex-Students
1.	Diploma in Library & Information Science	₹ 2110/-	₹ 2270/-
2.	B.Ed. Part- I	₹ 3560/-	₹ 4050/-
3.	B.Ed. Part- II	₹ 3820/-	₹ 4310/-
4.	B.Ed. Part- I (One due Paper)	₹ 1790/-	-
5.	B.Ed. Part- I (Two due Paper)	₹ 2660/-	-
6.	B.Ed. Part- I (Three due Paper)	₹ 3560/-	-
7.	LL.B. I-Year	₹ 1630/-	₹ 1960/-
8.	LL.B. II-Year	₹ 1960/-	₹ 2200/-
9.	LL.B. III-Year	₹ 2110/-	₹ 2440/-
10.	LL.B. (One due Paper)	₹ 830/-	-
11.	LL.B. (Two due Paper)	₹ 1230/-	-
12.	LL.B.(Three due Paper)	Full Exam Fee (Class wise)	-
13.	LL.M. – Part I	₹ 1970/-	₹ 2270/-
14.	LL.M. – Part-II	₹ 2270/-	₹ 2590/-
15.	LL.M. – Part-II (Due paper of Part-I)	₹ 1110/-	₹ 1110/-
16.	Physically Challenged Students for Above Category	₹ 660/-	₹ 750/-

IV - B.A./B.Sc.-B.Ed. Part-I, II, III & IV की परीक्षा-2023 के लिए परीक्षा शुल्क

S.No.	Name of Exam	If already enrolled	Ex- Student
1.	B.A./B.Sc. B.Ed. Part-I	₹ 1450/-	₹ 1790/-
2.	B.A./B.Sc.B.Ed. Part-II	₹ 1450/-	₹ 1790/-
3.	B.A./B.Sc.B.Ed. Part-III	₹ 2640/-	₹ 3070/-
4.	B.A./B.Sc.B.Ed. Part-IV	₹ 2640/-	₹ 3070/-
5.	With Due Paper Part-I	₹ 2640/-	₹ 3070/-
6.	with Due Paper of Part-II	₹ 2700/-	₹ 3170/-
7.	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed.Part-IV (with Due Paper of Part.-I)	₹ 2640/-	₹ 3070/-
8.	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed.Part-IV (with Due Paper of Part.-II)	₹ 2700/-	₹ 3170/-
9.	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed.Part-IV (with Due Paper of Part.-I & II)	₹ 3170/-	₹ 3650/-
10.	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed.Part-IV (with Due Paper of Part.-I, II & III)	₹ 3230/-	₹ 4770/-
11.	Physically Challenged Students for Above Category	₹ 660/-	₹ 750/-

v –विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं वाले (Not Enrolled) परीक्षार्थी निम्नानुसार शुल्क भुगतान करेंगे

S. No.	Enrollment Fee & Eligibility Fee	Fee for Exam-2022
1.	Enrollment Fee	₹ 340/-
2.	Eligibility Fee (For those candidates who have passed their qualifying exam from other than the Board of Secondary Education Rajasthan)	₹ 340/-

VI – स्नातक एवं स्नातकोत्तर (UG & PG) की प्रायोगिक (Practical) परीक्षा-2023 के लिए पृथक परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students		
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate
1.	For Per Practical Exam	₹ 170/-	₹ 170/-	₹ 170/-

नोट :-

उक्त प्रायोगिक परीक्षा शुल्क स्नातक पार्ट- I की प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Elementary Computer Application) के लिए लागू नहीं होगा।

VI – स्नातक एवं स्नातकोत्तर (UG & PG) स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क

S. No.	UG-PG Faculty/Subject	Only for Non-Collegiate Students Fee Per Subject
1.	स्नातक विज्ञान संकाय	₹ 1500/-
2.	स्नातक कला संकाय	₹ 1000/-
3.	स्नातकोत्तर भूगोल विषय	₹ 2000/-

नोट :-

- प्रत्येक नियमित छात्र द्वारा विकास शुल्क रु. 50/- तथा स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क रु. 50/- परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पृथक से देय होगा।
- शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थायी/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा सामान्य निर्धारित शुल्क देय होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।

Ashu

Raj

[Signature]
परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट-अ

अ-स्नातक परीक्षा हेतु कतिपय नियम

(विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय हेण्डबुक के सम्बन्धित अधिनियम देखें जा सकते हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर उलब्ध है)

1. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-176 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि से ठीक 2½ वर्ष पूर्व से अलवर जिले के निवासी ही स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इस आशय का प्रमाण-पत्र परीक्षा फॉर्म के साथ देना होगा। उक्त प्रावधान से निम्नलिखित को छूट मिलेगी :
(अ) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित जिनका स्थानान्तरण अलवर जिले में हुआ हो।
(ब) ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से उक्त जिलों में निवास करने लगे हों।
(स) उक्त जिलों के मूल निवासी (Bonafide permanent resident)।
(द) ऐसे रक्षा बल (Defence Personnel) जो उक्त जिलों में परीक्षा फॉर्म भरने के दिनांक को पदस्थापित हों।
2. स्नातक (बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम.) ऑनर्स एवं पास कोर्स पार्ट प्रथम में प्रवेश से 6 वर्ष की अवधि में ही पूर्ण करनी है। अतः अपात्र परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवायें।
3. बी.बी.ए. वार्षिक पद्धति कोर्स पार्ट प्रथम में प्रवेश से 5 वर्ष की अवधि में ही पूर्ण करनी है, अतः अपात्र परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवायें।
4. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-170-ए जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये विद्यमान होगा, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम में समय-समय पर किया गया संशोधन भी लागू होगा।
5. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-175 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं है :- टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल, ड्राईग एण्ड पेंटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाइजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च जर्मन, रशियन फिजीकल एज्यूकेशन, ड्रामेटिक्स जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रॉपोलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्यूनिकेशन।
6. स्नातक स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी तथा नियमित छात्रों को सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर तथा पर्यावरण अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
7. स्नातक/स्नातकोत्तर स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
8. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-81-1(A) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में पार्ट-I उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदल कर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट-I 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। सांयकालीन (SFS) महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त परीक्षार्थियों को इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। कॉलेज शिक्षा प्रवेश नीति के अनुसार महिलाओं को भी 45 प्रतिशत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।
9. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-86-B (I) तथा 177 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार विश्वविद्यालय सिंडिकेट से समकक्षता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा ऑटोनोमस महाविद्यालय के स्नातक पार्ट-प्रथम उत्तीर्ण छात्र पार्ट-द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु :-
(i) ऐसे छात्र उन्ही वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिनका चयन पार्ट-प्रथम में किया था। परन्तु अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी से छूट मिलेगी परन्तु अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर यदि पार्ट-प्रथम के साथ उत्तीर्ण नहीं किये हो तो उनकी परीक्षा देनी होगी।



(ii) ऐसे छात्रों की डिवीजन का निर्धारण पार्ट-द्वितीय/तृतीय में प्राप्तांकों के आधार पर होगा तथा उन्हें दो वर्षीय उपाधि प्रदान की जावेगी।

10. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-144 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की सम्बन्धित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
11. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन करने का प्रावधान नहीं है।
12. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परसियन विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।
13. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरुष परीक्षार्थियों को गृह-विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है।
14. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते हैं।
15. स्नातक नियमित/स्वयंपाठी परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-153-B जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार पार्ट-प्रथम/द्वितीय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात अगली कक्षा पार्ट-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन्हें पुनः उगी कक्षा में सम्मिलित होना होगा परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय (यदि कोई हो) की परीक्षा से छूट मिलेगी।
16. श्रेणी/अंक सुधार -स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) पार्ट-प्रथम/द्वितीय/तृतीय उत्तीर्ण परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169ई(i) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह ध्यान रखें कि ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषयों (यदि हो) की परीक्षा पुनः देनी होगी।
17. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-193-सी(i) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जावेगे।
18. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार नॉन कॉमर्स परीक्षार्थियों को बी.कॉम पार्ट-प्रथम में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एण्ड अकाउन्टेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
19. स्नातक ऑनर्स बी.बी.ए. एव बी.सी.ए. पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिये ही लागू है।
20. पूर्वछात्र (Ex-Student) अधिनियम-164 के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो सम्बन्धित कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा के पूर्वछात्र (Ex-Student) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी। सभी पूर्व छात्रों के परीक्षा फार्म उसी महाविद्यालय में जमा होंगे जहाँ के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।
21. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-182 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरान्त लौटाया नहीं जावेगा।
22. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-168-ए एवं बी जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रीयों की परीक्षा नहीं दे सकते हैं अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएँ निरस्त करने का प्रावधान है।
23. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-H जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है तो परीक्षा परिणाम/अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
24. बी.ए./बी.एससी. एडिशनल परीक्षा में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिसका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो। उन्हें एडिशनल विषय के पार्ट-I, II एवं III के सभी विषय वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करने होंगे।

ब- स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु कतिपय नियम

25. स्नातक परीक्षा के उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 4, 7, 10, 21, 22 व 23 स्नातकोत्तर परीक्षा में भी लागू होंगे।
26. एम.ए./एम.एस.सी (वार्षिक पद्धति) भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते हैं। एम.ए./एम.एस.सी मैथेटिक्स के लिए स्नातक स्तर पर मैथेमेटिक्स विषय होना आवश्यक है। लेकिन बी.टेक उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एस.सी मैथेटिक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।
27. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-H जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/अंकतालिका संशोधन करने का अधिकारी विश्वविद्यालय को है।
28. श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) परीक्षार्थियों के लिये प्रावधान :-

(i)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-E(i) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2022 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। उन्हें (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र सहित) सभी प्रश्न-पत्रों में परीक्षा देनी होगी।
(ii)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-E(ii) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2022 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक या अधिकतम दो प्रश्न-पत्र (सैद्धान्तिक) में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में अंक सुधार की सुविधा नहीं है।
(iii)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-D जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार विश्वविद्यालय से परीक्षा-2022 में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध के सभी विषयों (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र सहित) में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।
(v)	एम.ए./एम.एस.सी/एम.कॉम के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्वछात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।

Asst. Prof.

परीक्षा नियंत्रक